

वन विभाग, हरियाणा सरकार,
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा

सी-18, वन भवन, सेक्टर 8, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563986, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: एफ0सी0ए0/6586/780

दिनांक: 07.11.2025

स्मरण-पत्र 4

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग,
चण्डीगढ़।

विषय: Diversion of 0.01388 ha. of forest land for access to Group Housing Residential Apartments of M/s National Building Construction Corporation Ltd. along Pataudi road k.m. 10-11 L/Side from Kadarapur Chowk, at Village Hayatpur, under forest division and Distt. Gurugram, Haryana.
Online Proposal No. FP/HR/Others/10601/2015

संदर्भ: इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1380 दिनांक 24.05.2023, पत्र क्रमांक 2914 दिनांक 16.02.2024, पत्र क्रमांक 1268 दिनांक 12.09.2024 व पत्र क्रमांक 617 दिनांक 17.09.2025।

.....

उपरोक्त संदर्भांकित पत्र के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक प्रशा-डी-तीन-6586/3619 दिनांक 17.01.2017 (प्रति सलंगन) द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई थी। प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा प्रस्ताव में सी0ए0 स्कीम के अनुसार CS/NPV की व अन्य चार्जिज सहित कुल 89,196/-की राशि कैम्पा के लेखा में जमा करवा दी है।

उक्त प्रस्ताव में जारी की गई सैद्धांतिक स्वीकृति पोर्टल पर अपलोड नहीं है। उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति ऑनलाईन पोर्टल पर राज्य की I.D द्वारा अपलोड की जा सकती है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध किया जाता है कि सैद्धांतिक स्वीकृति पोर्टल पर अपलोड करने की अनुकम्पा करें ताकि प्रस्ताव में स्टेज-II बारे आगामी कार्यवाही की जा सके।

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0)
हरियाणा, पंचकुला।

28/11/25

क्रमांक: प्रशा-डी-तीन-6586/

3619

दिनांक: 17-11

सेवा में

वन संरक्षक, दक्षिणी परिमण्डल,
गुरुग्राम ।

विषय: Diversion of 0.01388 ha. of forest land for access to Group Housing Residential Apartments of M/s National Building Construction Corporation Ltd. along Pataudi road Km. 10-11, L/side from Kadarpur Chowk, at village Hayatpur, under forest division and District Gurugram, Haryana.

संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक 4341 दिनांक 9-3-2016 तथा वन मण्डल अधिकारी, गुरुग्राम का पत्र क्रमांक 3133-जी दिनांक 10.01.2017 ।

कृपया उपर्युक्त विषय पर संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अनुमति मांगी गई है ।

2. सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1670-व-2-2016/8430 दिनांक 6-5-2016 की अनुरूपता में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय स्तर पर इस प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त उद्देश्य हेतु 0.01388 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी की सहमति/स्वीकृति उपरान्त सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करने पर प्रदान की जाती है :-

- (i) प्रयोक्ता एजेंसी से स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए ।
- (ii) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30-10-2002, 28-3-2008 एवं 9-5-2008 तथा पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 5-2-2009 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रैजैन्ट वैल्यु जमा करवाई जाए ।
- (iii) प्रयोक्ता एजेंसी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की website <http://forestsclearance.nic.in> या <http://efclearance.nic.in> पर ऑनलाईन जमा करवाएगी ।

उपर्युक्त शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए तथा अन्तिम अनुमति दिए जाने तक वन भूमि पर कार्य नहीं किया जाना चाहिए ।

क्रमा

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
हरियाणा, पंचकुला ।

प्रतिलिपि :-

1. वन मण्डल अधिकारी, गुरुग्राम ।
2. M/s National Building Construction Corporation Ltd., NBCC Bhawan Lodhi Road, New Delhi.